

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक- 1078 /97 /बजट /2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/10/2020

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:-योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 में कार्यालय एवं आकस्मिक व्यय मदों के अंतर्गत बजट आवंटन
-वित्तीय वर्ष 2020-21

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य आकस्मिक व्यय मदों में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क्र	प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1	प्राचार्य,शासकीय महाकौशल महाविद्यालय,जबलपुर	अति.संचा.जबलपुर पत्र क्र.713/विधि/20 दि. 11.09.2020	44-2202-03-103-0101-0798-31-003 44-2202-03-103-0102-0798-31-010	50,000 6,00,000
	कुल योग			6,50,000

(2) उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा राशि के व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का कृपया यथाशीघ्र आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित किया जावे। अनावश्यक रूप से वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं रखा जावे।

(3) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र.एल. 1-10/951/2020/ब-7/डीएमसी/चार,दिनांक 27 जुलाई 2020 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। परिपत्र की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(4) उक्त राशि का आहरण महाविद्यालय के सम्मक्ष अंकित सेगमेंट में उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से विकलनीय होगा।

(5) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।


(6) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(7) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे।

(6) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।


(7) किसी भी स्थिति में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


(डा. पूर्णिमा लोदवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक-16/10/2020

पृ0क0- 1079 /97/बजट/2020
प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर मध्यप्रदेश।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायालयीन शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पी.एल.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
